

उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा अनुभाग-3
संख्या-60/2017/3506 /चि0-3-17-टी-1(68)/2017
लखनऊ: दिनांक: 28 नवम्बर, 2017

कार्यालय ज्ञाप

तात्कालिक प्रभाव से डा0 रफी परवेज, (वरि0 क्र0-11861क1, डी0वी0डी0स्किन, लेवल-2) चिकित्साधिकारी, रक्तकोष, जिला चिकित्सालय, आजमगढ़ को उक्त चिकित्सालय में रिक्त चर्मरोग विशेषज्ञ के पद पर एतेद्वारा समायोजित किया जाता है।

2- डा0 रफी परवेज को निर्देशित किया जाता है कि वह तत्काल अपने पद पर कार्यभार ग्रहण कर कार्यभार प्रमाणक शासन को उपलब्ध करायें।


राम नगीना मौर्य
संयुक्त सचिव

संख्या- 60/2017/3506(1)/चि0-3-17-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महानिदेशक/निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. अपर निदेशक (कार्मिक/गोपन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. अपर निदेशक चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, आजमगढ़ मण्डल, आजमगढ़।
4. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, आजमगढ़।
5. वरिष्ठ काषाधिकारी, आजमगढ़।
6. सम्बन्धित चिकित्साधिकारी (द्वारा- मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, आजमगढ़)।
7. प्रभारी, कम्प्यूटर सेल को इस आशय से प्रेषित कि वे कृपया उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने के साथ-साथ सम्बन्धित चिकित्सक का पी0-2 संशोधित करने का कष्ट करें।
8. चिकित्सा अनुभाग-2/8
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,


(जे0 एल0 यादव)
अनु सचिव

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।